

पत्रांक :- बा0नि0रूपां0प्र0-1-तक0(अना0)-47 / 2025-

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,  
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,  
जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,  
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड,  
पटना।

पटना, दिनांक :

विषय:-मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड के भदुआर घाट (पूर्वी तटबंध) एवं झंझारपुर प्रखंड के खैरा घाट (पश्चिमी तटबंध) के मध्य कमला बलान नदी पर 39 x 24.00 m आकार का उच्चस्तरीय आर0 सी0 सी0 पुल एवं पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड के भदुआर घाट (पूर्वी तटबंध) एवं झंझारपुर प्रखंड के खैरा घाट (पश्चिमी तटबंध) के मध्य कमला बलान नदी पर 39 x 24.00 m आकार का उच्चस्तरीय आर0 सी0 सी0 पुल एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित जलीय आँकड़ों के आधार पर निम्न जलीय आँकड़ों एवं शर्तों के साथ दी जाती है:-

**जलीय आँकड़े:-**

1	Design Discharge	6223.94 Cumec
2	H.F.L	59.116 M (K.B.R.E at 36.00 km)
3	Formation Level	60.916 M (K.B.R.E at 36.00 km)
4	Free Board	1.8m

**शर्त:-**

1. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड के भदुआर घाट (पूर्वी तटबंध) एवं झंझारपुर प्रखंड के खैरा घाट (पश्चिमी तटबंध) के मध्य कमला बलान नदी पर 39 x 24.00 m आकार का उच्चस्तरीय आर0 सी0 सी0 पुल एवं पहुँच पथ निर्माण कार्य विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप कराना सुनिश्चित कराना होगा।
2. Guide bund का निर्माण IRC एवं IS Code में दिए गए प्रावधान के अनुरूप कराना होगा।
3. विषयांकित स्थल पर नदी के H.F.L से Free Board 1.80 m रखते हुए Afflux के साथ Girder का Soffit Level का निर्धारण रूपांकण में करना होगा।
4. प्रस्तावित/निर्माणाधीन उच्चस्तरीय आर0 सी0 सी0 पुल एवं पहुँच पथ के U/S एवं D/S में बाएँ एवं दाएँ दोनों तटबंध की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य IRC Code 89-2019 के प्रावधानों के अनुरूप कराना होगा।
5. उच्चस्तरीय आर0 सी0 सी0 पुल एवं पहुँच पथ निर्माण के दौरान सभी अपेक्षित मानकों का पूर्णतः पालन किया जाएगा एवं पुल निर्माण कार्य सभी सुरक्षात्मक उपायों के साथ कराना होगा।

6. कार्यस्थल के आवश्यक बिन्दुओं पर Danger Post लगाना होगा, जिससे कि आमजनों इत्यादि का इस ओर ध्यान आकृष्ट हो सके।
7. उच्चस्तरीय आर० सी० सी० पुल एवं पहुँच पथ निर्माण के दौरान नदी के धारा/जलप्रवाह को किसी भी परिस्थिति में अवरुद्ध नहीं करना होगा ताकि जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
8. उच्चस्तरीय आर० सी० सी० पुल एवं पहुँच पथ के निर्माण के पश्चात् मरम्मति एवं संपोषण का कार्य एवं व्यय का वहन कार्यकारी विभाग (बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड) द्वारा किया जायेगा।
9. कमला बलान नदी के चाट भूमि या नदी के किसी भी भाग से मिट्टी नहीं काटी जायेगी एवं नदी के बेड लेवल को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।
10. यह सुनिश्चित करना होगा कि उच्चस्तरीय आर० सी० सी० पुल एवं पहुँच पथ निर्माण के कारण किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो तथा अन्य जलीय संरचना क्षतिग्रस्त नहीं हो।
11. नदी के सेवापथ में Continuity हेतु नदी के दोनो तरफ के तटबंध में आवश्यक कार्य यथा Diversion सड़क, Ramp and Extra widening आदि का निर्माण कार्यकारी विभाग (बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड) को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
12. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखना होगा। बाढ़ अवधि में पुल निर्माण के पास नदी के Behaviour की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ़ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एवं देयता कार्यकारी विभाग (बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड) की होगी एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श/दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
13. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुये किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्ण रूप से हटाना होगा।
14. उच्चस्तरीय आर० सी० सी० पुल एवं पहुँच पथ निर्माण में किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की होगी।
15. उच्चस्तरीय आर० सी० सी० पुल एवं पहुँच पथ के निर्माण से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा।
16. कार्य करते वक्त जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा।
17. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन के क्रम में सैद्धान्तिक सहमति केवल जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों से यदि आवश्यक हो तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।
18. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का होगा।
19. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।



20. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
21. Discharge Concentration को Maintain करने हेतु भविष्य में यदि पुल के किसी Vent में Silt Deposition की स्थिति दृष्टिगत होने पर कार्यकारी विभाग को स्वयं के व्यय पर Silt Deposition को हटाना होगा।
22. प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति में दिये गये शर्तों को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराना होगा।
23. अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा की "प्रस्तावित संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है।"
24. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश सह ज्ञापांक-यो०मो०-4 (विविध) 07-372/2020 पार्ट-II-143/पटना दिनांक-06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किए गये Flood Plain Zoning के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
25. विभागीय पत्रांक-608, दिनांक-05.08.2024 की कंडिका-7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
26. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-  
(ब्रजेश मोहन)  
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक-

पटना, दिनांक :


प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल,-2, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह०/-  
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक- 128

पटना, दिनांक : 26/05/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय